

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



सूत्र : यूबीवर्षि
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2803

दिनांक : 4-2-16

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एण्ड मैनेजमेंट, सिधौली, झांसी रोड, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


1. महाविद्यालय के ए.आई.सी.टी.ई. के नॉर्स के अनुसार पर्याप्त संख्या में प्राचार्य, शिक्षकों की नियुक्ति की जाये तथा उन्हें कार्य परिषद से अनुमोदित कराया जायें।
2. समस्त कर्मचारियों को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायें।
3. महाविद्यालय ने पूर्व की शर्तों का परिपालन नहीं किया है जैसे पुस्तकों का कय, एन.एस.एस. इकाई का गठन, लायब्रेरियन की नियुक्ति आदि। इन सभी का परिपालन सुनिश्चित किया जावे।
4. कॉलेज कोड 27-28 का पूर्ण पालन करें।
5. एम.बी.ए. ब्लॉक का बोर्ड लगवाया जाये तथा स्पेसीफिक एरिया आवंटित किया जाये।
6. कम्प्यूटर लैब को अपग्रेड किया जाये तथा लाइसेंस सॉफ्टवेयर कय किये जायें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एण्ड मैनेजमेंट, सिधौली, झांसी रोड, ग्वालियर।
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्